न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या 37/2009 दायर दिनाँक 03.03.2009

वादी		प्रतिवादीगण
1. सवाईसिंह पुत्र गंगासिंह, 2. तेजसिंह पुत्र खींवसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरीया पुत्र रामकरण, जाति–जाट, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. किशोरसिंह पुत्र गंगासिंह, 3. प्रभूसिंह पुत्र गंगासिंह, 4. हणमानसिंह पुत्र गंगासिंह, 5. रणजीतसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. लाडकँवर पत्नी खींवसिंह, समस्त,जाति–राजपूत, निवासी–खुड़ी, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला–'नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188, R.T.Act.

उपस्थित:–

1. पक्षकार प्रतिवादी संख्या 04

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **12.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद खुड़ी में खसरा नम्बर 04 रकबा 36.19 बीघा की खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी भँवरीया व 1/2 हिस्सा की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

संख्या 02 ता 06 के नाम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नकल पेश है।

प्रार्थना वादीगण है कि–

शरहद खुड़ी में खसरा नम्बर 04 रकबा 36.19 बीघा में से 1/2 हिस्सा का जो प्रतिवादी भॅंवरीया के पिता रामकरण व घारू ने दिनाँक 30.01.1965 को बैचाण किया, उस हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–पावा में पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित। शेष पक्षकारान् अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 04 को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मजमे आम में जानकारी ली गयी। मजमे आम मे जानकारी में आया कि, शरहद खुड़ी में खसरा नम्बर 04 रकबा 36.19 बीघा में से 1/2 हिस्सा भूमि वादीगण की खरीदशुदा भूमि है। वादीगण ने जरिये इकरारनामा विवादित जायगा खरीद की है। उक्त जायगा पर वादीगण का लगभग पचास वर्षों से कब्जाकाश्त है।

वाद का खण्डन किसी पक्षकार द्वारा नहीं किया गया है। उक्त खरीदाशुदा जायगा की खातेदारी वादीगण के हक में घोषित किया जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः, वाद वादीगण, बाद विवेचना, डिक्री सादिर किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 37 / 2009
दायर दिनाँक 12.05.2018, निर्णय दिनाँक 10.05.2018
रघुवीरसिंह बनाम् मदनसिंह, वगैरा।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **खुड़ी** में वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 04 रकबा 36.19 बीघा में से भँवरीया व घारू का हिस्सा 1/2 भाग भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भँवरीया व घारू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

इकरारनामे की स्टाम्प ड्यूटी वसूली हेतु सम्बन्धित उप पंजीयक नियमानुसार कार्यवाही कर ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करे।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पावा

निर्णय, आज दिनाँक **12.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पावा

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 37/2009 दायर दिनाँक 03.03.2009

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. सवाईसिंह पुत्र गंगासिंह, 2. तेजसिंह पुत्र खींवसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—खुड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरीया पुत्र रामकरण, जाति—जाट, निवासी—खुड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. किशोरसिंह पुत्र गंगासिंह, 3. प्रभूसिंह पुत्र गंगासिंह, 4. हणमानसिंह पुत्र गंगासिंह, 5. रणजीतसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. लाडकँवर पत्नी खींवसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—खूड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—'नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक 12.05.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **पक्षकार प्रतिवादी संख्या 04 उपस्थित** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, शरहद **खुड़ी** में वादवर्णित भूमि खसरा नम्बर 04 रकबा 36.19 बीघा में से भँवरीया व घारू का हिस्सा 1/2 भाग भूमि का वादीगण को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा भँवरीया व घारू का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है। शेष खाता बदस्तूर जारी रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

इकरारनामे की स्टाम्प ड्यूटी वसूली हेतु सम्बन्धित उप पंजीयक नियमानुसार कार्यवाही कर ही नामान्तरकरण की कार्यवाही करे। नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत....................—.................. ..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.05.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—पावा

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–पावा

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—37—2009 / रीडर / 2018 / 533 दिनाँक 17.05.2018

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खतेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188, R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. सवाईसिंह पुत्र गंगासिंह, 2. तेजसिंह पुत्र खींवसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—खुड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरीया पुत्र रामकरण, जाति—जाट, निवासी—खुड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 2. किशोरसिंह पुत्र गंगासिंह, 3. प्रभूसिंह पुत्र गंगासिंह, 4. हणमानसिंह पुत्र गंगासिंह, 5. रणजीतसिंह पुत्र भँवरसिंह, 6. लाडकँवर पत्नी खींवसिंह, समस्त,जाति—राजपूत, निवासी—खूड़ी, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 7. तहसीलदार डीडवाना, जिला—'नागौर, राजस्थान।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प—पावा

Scanned by CamScanner